दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) बुधवार 10 जून, 2009/ ज्येष्ठ 20, 1931 (शक)

संख्या: 31

सदस्य की गिरफतारी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त, जिला बाहरी दिल्ली से निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है: -

"मुझे आपको ससम्मान सूचित करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री कुलवन्त राणा को दिनांक 15.9.2008 को दर्ज एफ. आई. आर. न. 686/08 में उनका नाम होने के उन्हें कारण पुलिस थाना प्रशांत विहार द्वारा दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा 147/149/186/353/332/333/423 के अंतर्गत उन्हें दिनांक 5.6.2009 को गिरफ्तार किया गया।

जन्हे जसी दिन अर्थात् दिनांक 5.6.2009 को जमानत पर तुरन्त रिहा दिया गया।"

सिद्वार्थ राव सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative and other matters) Wednesday 10th June 2009/ Jyaistha 20, 1931(Saka)

No. 31

Sub: ARREST AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi, was received from Addl. Dy. Commissioner of Police, Outer Distt., Delhi.

I have the honour to inform you that Hon'ble Member of Legislative Assembly Shri Kulwant Rana who named in FIR No.686/08 dated 15.9.2008 u/s 147/149/186/353/332/333/323 IPC PS Prashant Vihar, Delhi has been arrested on 5.6.2009 in this case and was released on bail immediately.

SIDDHARATH RAO Secretary